FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलेक्टर, सीकर

चुन्नीलाल **बनाम** **संतोष देवी आदि**

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण (मुंतकिली) **मुकदमा नम्बर – 13/2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.05.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने मुंतकिली आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, अप्रार्थीया संतोष देवी ने ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नं. 5588/110 रकबा 0.1550 हैक्टेयर खसरा नं. 5589/110 रकबा 2.06 हैक्टेयर खसरा नं. 5590/109 रकबा 0.15 हैक्टेयर खसरा नं. 5591/109 रकबा 2.1750 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.54 हैक्टेयर को अपनी पैतृक खातेदारी की भूमियां बताकर उक्त कृषि भूमियों में 1/3 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष एक वाद बाबत उद्घोषणा अधिकार स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा पेश किया गया है। उक्त वाद प्रकरण संख्या 157/2019 बउनवानी संतोष देवी बनाम चुन्नीलाल आदि विधि प्रकिया अनुसार चल रहा था, लेकिन अप्रार्थीया संतोष देवी के पति ने वर्तमान पीठासीन से सांठ गांठ कर प्रकरण का निर्णय प्रार्थी आवेदनकर्ता के खिलाफ करवाने पर आमादा है। विगत हर तारीख पेशी पर अप्रार्थीया संतोष देवी का पति पीठासीन अधिकारी के पास चेम्बर में बैठा रहता है। पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से साफ जाहिर है कि पत्रावली में छोटी–छोटी तारीखें दी जा रही हैं, जबकि प्रकरण भी इतना पुराना नही है। आदेशिका दिनांक 18.11.2024 से साफ स्पष्ट है कि उसी दिन प्रतिवादी सं. 4 व 5 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है ओर उसी दिन तनकीयात कायम कर पत्रावली साक्ष्य वादीया हेतु नियत कर दी जाती है। जबकि काफी पुरानी पत्रावलियों मे भी पिछले एक साल से तनकीयात कायम नहीं की गयी हैं, ओर अप्रार्थीया संतोष देवी के पति ने न्यायालय परिसर मे ही धमकी दी है कि मैं जो चाहूँगा वही फैसला होगा तुम कुछ नही कर सकते। अप्रार्थीया संतोष देवी के पति ने धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी हमसे मिलने वाला है ओर मै जल्दी से जल्दी वाद का निर्णय मेरे पक्ष मे कराउंगा तुम्हें जो करना है वह करो। इस कारण प्रार्थी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। इसलिए उपरोक्त प्रश्नगत वाद की पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी सीकर के न्यायालय से अन्य सक्षम न्यायालय मे हस्तान्तरित किया जाना कानूनन न्यायसंगत व आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण संख्या 157/2019 बउनवानी संतोष देवी बनाम चुन्नीलाल आदि को किसी अन्य सक्षम न्यायालय मे हस्तान्तरित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। **Contd...**	

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वकील अप्रार्थीगणों ने अपने जवाब आवेदन में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण संख्या 157/2019 बउनवानी संतोष देवी बनाम चुन्नीलाल आदि में उभयपक्षकारान को विधिवत सुनवायी के समुचित अवसर दिये जाकर वर्तमान में उक्त वाद साक्ष्य वादी में विचाराधीन है। प्रार्थी ने मात्र उक्त वाद की कार्यवाही को प्रभावित करने एवं विलम्बित करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष मुंतकिली आवेदन प्रस्तुत किया है, जो कि सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्षकारान के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा किये गये कथनों पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित है कि, प्रश्नगत राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.12.2019 को प्रकरण संख्या 157/2019 बउनवानी संतोष देवी बनाम चुन्नीलाल आदि दर्ज किया गया है, एवं प्रकरण में विधिवत सुनवायी की जा रही है। उक्त प्रश्नगत वाद 5 वष से भी अधिक पुराना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान को सुनवायी के समुचित एवं पर्याप्त अवसर भी दिये गये हैं। उक्त प्रश्नगत वाद पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी कोई विपरीत कार्यवाही किया जाना जाहिर नहीं आया है जिससे कि पत्रावली पर की गई कार्यवाही विधि के विरूद्ध प्रतीत हो। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ ऐसा कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे अधीनस्थ न्यायालय अथवा वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रश्नगत वाद की पत्रावली में की गई कार्यवाही नियमानुसार अथवा विधिक रूप से नहीं किया जाना प्रतीत होता हो। दौराने बहस भी वकील प्रार्थी द्वारा अपने मुंतकिली आवेदन एवं पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों के समर्थन में कोई साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में मात्र कयासों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों को यह न्यायालय उचित नहीं समझता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मात्र विलम्बित किये जाने की गरज से पेश किया जाना प्रतीत होता है। फिर भी पक्षकारान एवं आमजन का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

चूंकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान एवं राजस्थान सरकार के द्वारा भी समय-समय पर परिपत्र एवं दिशा निर्देश जारी किये जाकर राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण मुख्यतः पुराने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण बाबत निर्देश दिये जा रहे हैं। उक्त निर्देशों की पालना में राजस्व न्यायालयों में पदस्थापित पीठासीन अधिकारियों द्वारा विचाराधीन राजस्व प्रकरणों में नियमित सुनवायी की जाकर नियमानुसार **Contd...**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम् जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरणों को निस्तारित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन काफी बार ऐसा देखने में आया है कि पक्षकारान मात्र अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न्याय की भावना के विरूद्ध प्रकरणों को लम्बित किये जाने के उद्देश्य से सक्षम न्यायालयों में मुंतकिली आवेदन पेश कर प्रकरणों के निस्तारण को विलम्बित किये जाने का प्रयास करते हैं, जो कि न्याय की मंशा के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार के कृत्यों को यह न्यायालय बिल्कुल न्यायोचित नहीं मानता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस आवेदन को आगे चलाये जाना उचित एवं न्यायोचित नहीं मानता है। प्रार्थी चुन्नीलाल की ओर से जरिये वकील प्रस्तुत यह **प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।** पक्षकारान एवं आमजन का न्याय के प्रति विश्वास बना रहे इसलिए **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन उक्त प्रश्नगत राजस्व वाद प्रकरण संख्या 157/2019 बउनवानी संतोष देवी बनाम चुन्नीलाल आदि में उभयपक्षकारान को दस्तावेज एवं जवाब आदि प्रस्तुत करने तथा सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (आशीष मोदी) **जिला कलेक्टर, सीकर** जिला कलेक्टर, सीकर	

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)